न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारी:—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—114/2024

प्रार्थी:—

भंवरराम उर्फ भंवरलाल पुत्र आईदानराम जाति जटिया निवासी मजल तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 28.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1229/618, 616 व 617 रकबा क्रमशः 3.0999, 0.1862 व 0.1052 हैक्टेयर भूमि ग्राम मजल तहसील समदडी तथा खसरा संख्या 385/90, 386/90 व 535/88 रकबा क्रमशः 21.4402, 6.6045 व 9.5910 हैक्टेयर भूमि ग्राम खंरटिया तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि में उसका वास्तविक नाम ''भंवरलाल पुत्र आईदानराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''भंवरराम पुत्र आईदान'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1714 दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य [illegible] आधारकार्ड,जनआधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड व रा.उ.मा.वि. मजल द्वारा [illegible] टी.सी. की प्रति पेश किया ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''भंवरलाल पुत्र आईदानराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1229/618, 616 व 617 रकबा क्रमशः 3.0999, 0.1862 व 0.1052 हैक्टेयर भूमि ग्राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested

ल तहसील समदडी तथा खसरा संख्या 385/90,386/90 व 535/88 रकबा क्रमशः 21.4402, 6.6045 व 9.5910 हैक्टेयर भूमि ग्राम खंरटिया तहसील समदडी में फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम "भंवरराम पुत्र आईदान" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व रा.उ.मा.वि.मजल द्वारा जारी टी.सी. आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "भंवरलाल पुत्र आईदानराम" की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "भंवरराम पुत्र आईदान" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

ग्राम खंरटिया तहसील समदडी के खसरा संख्या 385/90, 386/90 व 535/88 रकबा क्रमशः 21.4402, 6.6045 व 9.5910 हैक्टेयर भूमि बाबा रामदेव कृषि सहकारी समिति मजल के खातेदारी की है। अतः उक्त खसरान में प्रार्थी का नाम संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मजल तहसील समदडी के खसरा संख्या संख्या 1229/618, 616 व 617 रकबा क्रमशः 3.0999, 0.1862 व 0.1052 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "भंवरराम पुत्र पुत्र आईदान" के स्थान पर "भंवरलाल पुत्र आईदानराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested